निग / 2911 / II / 15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रीवा खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

संतोष कुमार तिवारी तनय श्री सहदेव प्रसाद तिवारी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम पुर्वा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

———निगरानीकर्ता

बनाम

1— गंगाधर त्रिपाठी तनय पारसनाथ त्रिपाठी

2— रवीन्द्रनाथ त्रिपाठी तनय पारसनाथ त्रिपाठी

3— विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी तनय पारसनाथ त्रिपाठी

सभी निवासी ग्राम पुर्वा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

1— म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय रीवा (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय राजस्व निरीक्षक मण्डल चाकघाट द्वारा प्रकरण क0—48अ—12 / 14—15 में पारित आदेश दिनांक 30 / 06 / 2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नवत् है :—

1— यह कि निगरानीकर्ता के स्वामित्व की आराजी नं0—34 रकवा 4.873 हे0 का सीमांकन कराये जाने हेतु निगरानीकर्ता द्वारा सीमांकन आवेदन पत्र दिनांक 12 / 05 / 2015 को राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त चाकघाट में प्रस्तुत किया गया, जिसके पंश्चात्वर्ती

सन्तोष कुमार

(73)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0--**2911-II** / 2015 जिला–रीवा

संतोष कुमार तिवारी / गंगाधर त्रिपाठी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश प्रताप सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त चाकघाट तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 48/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	